

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक एफ 16-03/2020/2/34

भोपाल, दिनांक 26 FEB 2020


// आदेश //

प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को एफ.टी.एच.सी. (Functional Household Tap Connection) के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले Drinking Water Master Plan अनुसार पेयजल स्रोतों के चिन्हांकन एवं आवश्यक जल की मात्रा की गणना आदि के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार **विभागीय समिति** का गठन किया जाता है :-

1. प्रमुख अभियंता (सलाहकार), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - सदस्य
2. मुख्य अभियंता (समस्त परिक्षेत्र), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - सदस्य
3. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. जल निगम मर्यादित (परियोजना निदेशक, जल निगम द्वारा नामांकित मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी) - सदस्य
4. महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित (परियोजना निदेशक, जल निगम द्वारा नामांकित) - सदस्य
5. अधीक्षण यंत्री (मॉनि.), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - समन्वयक/सदस्य
6. भूजलविद् राज्य सलाहकार, कार्या. संचालक जल सहायता संगठन, लो.स्वा.यां. विभाग - सदस्य
7. विशेष आमंत्रित सदस्य (विषय विशेषज्ञ), प्रमुख अभियंता लो.स्वा.यां. द्वारा नामांकित - सदस्य

उपरोक्त समिति द्वारा सतही स्रोतों के चिन्हांकन एवं पेयजल हेतु आवश्यक जल की मात्रा की गणना आदि कार्य किये जायेंगे, तथा जल-जीवन मिशन की पंचवर्षीय कार्ययोजना भी तैयार की जायेगी।


यह समिति Drinking Water Master Plan अनुसार चिन्हांकित पेयजल स्रोतों से पेयजल की उपलब्धता, स्रोत की संवहनीयता, एवं जल आवंटन के संबंध में अपनी अनुशंसायें अंतर्विभागीय समिति (समसंख्यक आदेश दिनांक 30.01.2020 से गठित) को प्रेषित करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव

पृ.क्रमांक एफ 16-03/2020/2/34
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 26 FEB 2020

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बाणगंगा, जल भवन, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, सलाहकार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर।
5. परियोजना निदेशक, जल निगम मर्यादित, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. अधीक्षण यंत्री, मॉनि. कार्यालय प्रमुख अभियंता।
7. भूजलविद् राज्य सलाहकार, कार्यालय संचालक जल सहायता संगठन, लो.स्वा.यां. विभाग भोपाल।

की ओर सूचनार्थ।

उप सचिव